I/133434/2023

संख्याः E 133434 /52507 FCD-IRFC/FSFC/6/2023

प्रेषक,

**सी. रवि शंकर,**
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
पंचायतीराज,
डाण्डालखौड, नियर आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 3 जुलाई 2023

**विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में जिला पंचायतों को द्वितीय त्रैमासिक किश्त की धनराशि संक्रमित करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में त्रि–स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय त्रैमासिक किश्त ₹61,39,75,000.00 (₹इकसठ करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार संक्रमित किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही हैः–

1– यह धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन, अध्याय–8 (संक्रमण की योजना) में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संक्रमित की जा रही है। धनराशि के उपयोग के लिये वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्याः 266/(वि0आ0निदे0) xxxvii(1)/2022, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारण किये गये हैं, जिसकी प्रति पूर्व में ही प्रेषित की गई है। तद्नुसार समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए धनराशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2– वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 132/xxvii(6)/430/ एक/ 2008/ 2019, दिनांकः 29 मार्च, 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार धनराशि आहरित कर संबंधित जिला पंचायतों को PFMS के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त की सूचना वित्त विभाग (वि.आ.निदे.) को उपलब्ध करायी जायेगी। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा धनराशि अपने स्तर पर नहीं रोकी जायेगी।

3– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संक्रमित होने वाली धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम जिला पंचायत में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि पर किया जायेगा।

4– जिला पंचायतें संक्रमित धनराशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत धनराशि अपनी सम्पत्तियों के रख–रखाव एवं सृजन पर व्यय कर सकेंगी। ऐसी जिला पंचायतें जिनके पास अपने कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं है, शासन की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय भवन निर्मित करने हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय कर सकेंगी।

5– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतीराज विभाग के नवीनतम शासनादेशों के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं किया जायेगा।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 30/06/2023 11:10 AM

6– कोविड–19 अथवा अन्य कोई संक्रामक बीमारी के फैलने तथा सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित किये जाने की स्थिति में संक्रमित की गई धनराशि का 10 प्रतिशत भाग आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त घोषित महामारी के बचाव हेतु व्यय किया जायेगा।

7– जिला पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं की स्थापना के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर पंचायत सड़कों का निर्माण, सरकारी भवनों का रख–रखाव, खुले में शौच से मुक्ति, सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों (स्ट्रीट लाईट) का भुगतान, पेयजल योजनाओं का निर्माण एवं रख–रखाव, जलापूर्ति, जल निकासी एवं स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, रोजगार सृजन योजनाओं के साथ–साथ संशाधन जुटाने जैसी नागरिक सुविधाऐं प्रदान करना है। इस के अतिरिक्त सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, आगंनबाडी भवनों का निर्माण /अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण, अन्त्येष्टि स्थलों की बाउन्ड्री, समुदायिक भवनों के निर्माण करने के साथ–साथ जिला पंचायतों को इण्टर कनैक्टिविटी (ग्राम पंचायतों को एक दूसरे से जोंड़ने हेतु रास्तों /सड़कों का निर्माण) सम्बन्धी कार्य काराये जा सकते हैं।

8– उक्त कार्यो के साथ–साथ पंचायतें पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अध्याय–5 की धारा–23 (समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम) में उल्लिखित कार्यो को भी आवश्यकतानुसार करा सकेंगी।

9– जिला पंचायतों को संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर निदेशक, पंचायतीराज को उपलब्ध कराये जायेंगे। निदेशक, पंचायतीराज द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का अपने स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त उनको प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (वित्तीय व भौतिक प्रगति) भी संलग्न करना आवश्यक होगा। संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 30 सितम्बर, 2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। तदोपरान्त ही अगली किश्त की धनराशि संक्रमित की जायेगी।

10– संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर निदेशक तथा जिले स्तर अपर मुख्य अधिकारी /विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

11– संक्रमित धनराशि के सदुपयोग के लिए शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग के सचिव तथा निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित विभाग के निदेशक द्वारा त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

12– अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली–2017 (संशोधित) में निहित प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अर्न्तगत किया जायेगा।

13– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–111469 /09(150) /2019 /XXVII(1)/2023, दिनांक: 31 मार्च, 2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– संक्रमित की जा रही धनराशि का जिला पंचायतवार विवरण संलग्न है तथा ई–मेल से भी विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अलाटमेंन्ट आई.डी. भी संलग्न कर उपलब्ध कराई जा रही है।

15– शहरी स्थानीय निकायों के परिसीमन तथा नई नगर पंचायतें/नगर पालिकाओं के गठित होने के फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की जनसंख्या व क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो गया है, जिसके कारण त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि में आंशिक कमी अथवा वृद्धि सम्भावित है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु पारित आय–व्ययक अनुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा:–



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 30/06/2023 11:10 AM

(धनराशि हजार ₹ में)

| क्र. सं | निकाय का नाम | लेखाशीर्षक | संक्रमित की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1— | जिला पंचायतें | **3604**—स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन— 00—200— अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन—02—राज्य वित्त आयोग—05 — जिला पंचायतों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन—69—समनुदेशन के नामे डाला जायेगा। | **613975** |

**(₹इकसठ करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 28-06-2023 07:44:05
**(सी.रवि शंकर)**
अपर सचिव, वित्त।

**संख्याः E 133434/52507 FCD-IRFC/FSFC/6/2023, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः**— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुँमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, 223, विश्वकर्मा, भवन देहरादून, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी को मा0 वित्त मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री जी को मा0 पंचायतीराज मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
13. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

**(सी.रवि शंकर)**
अपर सचिव, वित्त।



Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA RATURI, RO-Finance Section 1-KCR, RO-FINANCE, Finance Department on 30/06/2023 11:10 AM

I/133433/2023

**पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2023–24 में द्वितीय तिमाही किश्त हेतु संक्रमित की जाने वाली धनराशि का विवरण।**

(₹हजार में)

| क्रम संख्या | जिला पंचायत का नाम | वित्तीय वर्ष 2023–24 की द्वितीय तिमाही हेतु समस्त जिला पंचायतों को संकमित की जा रही धनराशि |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | अल्मोड़ा | 50354 |
| 2 | बागेश्वर | 29955 |
| 3 | चमोली | 49726 |
| 4 | चम्पावत | 21682 |
| 5 | देहरादून | 49888 |
| 6 | हरिद्वार | 92730 |
| 7 | नैनीताल | 33712 |
| 8 | पौड़ी गढ़वाल | 55354 |
| 9 | पिथौरागढ़ | 44961 |
| 10 | रूद्रप्रयाग | 25160 |
| 11 | टिहरी गढ़वाल | 51793 |
| 12 | उधमसिंह नगर | 76137 |
| 13 | उत्तरकाशी | 32523 |
| | **योग** | **613975** |

(₹इकसठ करोड़ उनतालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)

Signed by C Ravi Shankar
Date: 28-06-2023 07:43:13

(सी. रवि शंकर)
अपर सचिव, वित्त।